



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 17.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।



प्रेस नोट थाना नीमगांव जनपद स्त्री

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय स्त्री के जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश अनुपालन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र सिंह मय 30नि0 हनुमन्त लाल तिवारी मय हमराह हे0का0 देवीदयाल, का0 मनीष सिंह व का0 अनुपम पाण्डेय के थाना हाजा से रवाना होकर देखाभात क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी वारण्टी में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि थाना हाजा पर पंजीकृत हुए मैनेस्टर एवट के मुकेदमे के तीनों अभियुक्तों सेहूआ मोड़ के पास वहत ब्राम सेहूआ थाना नीमगांव जनपद स्त्री में हैं। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले वहां पहुंचे तो देखा कि वह तीनों आपस में कुछ बात-चीत कर रहे हैं। हम पुलिस वालों ने मौका पाकर तीनों व्यक्तियों को एक बारगी दबिश देकर पुलिस हिरासत में ले लिया। पकड़े गये पहले व्यक्ति नाम मतीन से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, दूसरे व्यक्ति नाम सोमीन से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त बाबू अती पुत्र मोहर्म्म अती नि0ब्राम पिपरा थाना नीमगांव जनपद स्त्री के कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त मतीन पुत्र जियाउल्ला नि0ब्राम रायपुर गुंशी थाना नीमगांव जनपद स्त्री के विरूद्ध मु0आ0सं0 361/20 धारा 3/25 आर्म्स एवट व अभियुक्त सोमीन पुत्र जियाउल्ला नि0ब्राम रायपुर गुंशी थाना नीमगांव जनपद स्त्री के विरूद्ध मु0आ0सं0 362/20 धारा 3/25 आर्म्स एवट की कार्यवाही की गयी। अभियुक्तगण 1. मतीन 2. सोमीन 3. बाबू अती उपरोक्त मु0आ0सं0 359/20 धारा 2ख(17)/3 मैनेस्टर एवट के वांछित अपराधी हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण व अपराधिक इतिहास-

1. मतीन पुत्र जियाउल्ला नि0ब्राम रायपुर गुंशी थाना नीमगांव जनपद स्त्री
अपराधिक इतिहास- मु0आ0सं0 174/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु चुरता अधि0
मु0आ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0
मु0आ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0
2. सोमीन पुत्र जियाउल्ला नि0ब्राम रायपुर गुंशी थाना नीमगांव जनपद स्त्री
अपराधिक इतिहास- मु0आ0सं0 174/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु चुरता अधि0
मु0आ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0
मु0आ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0
3. बाबू अती पुत्र मोहर्म्म अती नि0ब्राम पिपरा थाना नीमगांव जनपद स्त्री
अपराधिक इतिहास- मु0आ0सं0 174/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु चुरता अधि0
मु0आ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0

गिरफ्तारी का दिनांक - 17.12.2020 समय - 03.00 AM

दि0सू0- 17.12.2020 समय 05.26 AM

घटनास्थल - सेहूआ वौराह के पास वहत ब्राम सेहूआ थाना नीमगांव जनपद स्त्री

बरामद माल का विवरण- 02 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम थाना नीमगांव जनपद स्त्री

1. प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र सिंह
2. 30नि0 हनुमन्त लाल तिवारी
3. हे0का0 देवीदयाल
4. का0 मनीष सिंह
5. का0 अनुपम पाण्डेय

थाना निघासन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के ईनामी शातिर अभियुक्त मजहर पुत्र मंगरे को अवैध नशीले 400 ग्राम (नाइट्राजीपाम) पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया



प्रेस विज्ञप्ति कोतवाली निघासन जनपद खीरी

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत श्रीमान् क्षेत्राधिकारी निघासन/धीरहरा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक निघासन के नेतृत्व में थाना कोतवाली निघासन पुलिस बल के द्वारा दिनांक 17.12.2020 को बल्लीपुर मोड़ पलिया रोड़ सलीमाबाद चौराहा से मुखबिर की सूचना पर 400 ग्राम नाइट्राजीपाम नशीला पाउडर के साथ गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये का ईनामी शातिर अपराधी को दिनांक 17.12.2020 को समय करीब 03.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण -

मजहर पुत्र मंगरे निवासी ग्राम गदियाना मजरा बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 891/2020 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से बरामद नशीला पाउडर का विवरण -

एक प्लास्टिक पालिथीन में लगभग 400 ग्राम नाइट्राजीपाम नशीला पाउडर बरामद

***घोषित पुरस्कार की धनराशि -* 25000/- रुपये**

गिरफ्तार अपराधी का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 266/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 295/2020 धारा 2(ख)17/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट
3. मु0अ0सं0 891/2020 धारा 8/21 NDPS एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम विवरण-

1. प्र0नि0 डी0के0 सिंह
2. उ0नि0 राहुल सिंह
3. का0 जयप्रकाश यादव
4. का0 मो0अली खान
5. का0 अमर कौशिक
6. का0 सूर्यप्रभाकर
7. का0 छत्रपाल

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा टॉप 10 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त महताब पुत्र साबिर को अवैध नशीले पदार्थ सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट थाना सिंगाही जनपद खीरी

थाना सिंगाही की पुलिस द्वारा 3540 टेबलेट ALPRASAFE-0.5 प्रतिबन्धित व नशीला पाउडर 142 ग्राम अवैध के साथ एक नफर अभियुक्त महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्वारी थाना सिंगाही खीरी टाप टेन प्रचलित दुसवायी(HS नं० 160A) थाना सिंगाही जिला खीरी गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु०अ०स० 439/2020 धारा 8/22 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में चलाये जा रहे सघन अभियान वाछित / वाचन्टी अपराधी व सदिग्ध व्यक्ति वस्तु से संबंधित गिरफ्तारी के अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय निवासन के निर्देशन में थानाध्यक्ष सिंगाही श्री प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की जा रही सघन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 17.12.2020 को एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया विस्तृत विवरण निम्नवत है।

घटना का विवरण

आज दिनांक 17.12.2020 को थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ०नि० श्री व्यास यादव, का० सौरभ कुमार, का० अरुण कुमार के विनावर देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम एवं तलाश वाछित/वाचन्टी अपराधी में मामूर था जब हम पुलिस वाले वलेशहरण तिराहे पर पहुचे तो अभियुक्त महताब पुत्र साबिर नि० ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्वारी थाना सिंगाही जिला खीरी आता हुआ दिखाई दिया पुलिस वालो को देखकर वापस मुडकर तिकुनिया रोड को जाने लगा शक सदिग्ध व्यक्ति होने पर रुकने को कहा तो नहीं रुका तो पुलिस बल द्वारा दौडकर घेरकर 08.05 बजे पकड़ लिया नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम महताब पुत्र साबिर नि० ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्वारी थाना सिंगाही खीरी उम्र 32 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 3540 टेबलेट ALPRASAFE-0.5 प्रतिबन्धित व नशीला पाउडर 142 ग्राम अवैध बरामद किया गया। तथा अभियुक्त महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा थाना सिंगाही खीरी को मा० न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्वारी थाना सिंगाही खीरी टाप टेन प्रचलित दुसवायी(HS नं० 160A) थाना सिंगाही जिला खीरी

बरामदगी

अभि० महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा थाना सिंगाही खीरी के 3540 टेबलेट ALPRASAFE-0.5 प्रतिबन्धित व नशीला पाउडर 142 ग्राम अवैध बरामद होना

बरामदगी स्थल समय व दिनांक

बरामदगी स्थल- वलेशहरण तिराहा बहद ग्राम हरद्वारी थाना सिंगाही खीरी दिनांक 17.12.2020 समय 08.05 बजे

आपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना
1.	72/2018	2/3 UP नैंगस्टर	थाना सिंगाही
2.	179/2017	395/397/506 IPC व 412 IPC	थाना सिंगाही
3.	274/2017	394/411 IPC	थाना सिंगाही
4.	38A/99	323/324/504 IPC	थाना सिंगाही
5.	541/10	198ZLR Ac	थाना सिंगाही
6.	858/2011	379/411 IPC	थाना कोतवाली जिला गोंडा

पुलिस टीम 1.) थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह (2) उ०नि० श्री व्यास यादव (3.) का० सौरभ कुमार (4) का० अरुण कुमार थाना सिंगाही खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा टॉप 10 शातिर अभियुक्त सरताज को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

थाना फूलबेहड़ का टाप 10 का अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 17.12.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के द्वारा मौजूदा समय में 10 मुकदमों से अधिक अपराधिक इतिहास वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के दिशा निर्देशन में थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम नरी के पास में समय करीब 13.42 पर 01 नफर अभियुक्त **(जो थाना स्थानीय का टाप 10 का अपराधी है)** सरताज पुत्र गफूर निवासी घोसियाना थाना फूलबेहड़ खीरी उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्वा व 01 अदद जिन्दा कारतूथ 12 बोर का बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 487/2020 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

- सरताज पुत्र गफूर निवासी घोसियाना थाना फूलबेहड़ खीरी उम्र 40 वर्ष

थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0स0 487/2020 धारा 3/25 आर्मस अधिनियम

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी

- अवैध तमन्वा 12 बोर - 01 अदद
- अवैध जिन्दा कारतूथ 12 बोर - 01 अदद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 72/2009 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना फूलबेहड़ खीरी
2. मु0अ0स0 73/2009 धारा 3/25 आर्मस एकट थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
3. मु0अ0स0 98/2009 धारा 307 भादवि0 थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
4. मु0अ0स0 99/2009 धारा 3/25 आर्मस एकट थाना फूलबेहड़ खीरी
5. मु0अ0स0 1133/2011 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
6. मु0अ0स0 897/2014 धारा 380/511 भादवि0 थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
7. मु0अ0स0 165/2015 धारा 379/411 भादवि0 थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
8. मु0अ0स0 44/2017 धारा 3(1) गुण्डा एकट थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
9. मु0अ0स0 383/2017 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
10. मु0अ0स0 384/2017 धारा 41/411/413 भादवि0 थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
11. मु0अ0स0 375/2019 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना फूलबेहड़ जिला खीरी
12. मु0अ0स0 487/2020 धारा 3/25 A ACT थाना फूलबेहड़ खीरी

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का नाम व पद

1. श्री श्याम नारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक फूलबेहड़ खीरी
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय थाना फूलबेहड़ खीरी
3. का0 पुष्पेन्द्र यादल थाना फूलबेहड़ खीरी
4. का0 यतेन्द्र कुमार सिंह थाना फूलबेहड़ खीरी

थाना भीरा पुलिस द्वारा 15,000-15,000 रुपये के इनामिया 02 शातिर अभियुक्तों को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस विज्ञप्ति थाना भीरा खीरी

थाना भीरा पुलिस द्वारा 15000-15000 रु० के दो इनामिया व मु०अ०सं०-362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427भा०द०वि० थाना भीरा के वांछित व मु०अ०सं०536/2020धारा 3/25 आर्म एक्ट.537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि० गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया

विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एव श्रीमानं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान वांछित वारंटी अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान के तहत आज दिनांक: 17.12.2020 को मुखविर की सूचना पर ग्राम रामनगर में शारदा नदी घाट के पास से भीरा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि० गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी को अवैध शस्त्र 315 बोर का तमंचा व 1 अदद 315 बोरपजिन्दा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक 12 बोर अवैध तमंचा व 2 अदद जिन्दा 12 बोर कारतूसके साथ गिरफ्तार कर थाना भीरा पर नियमानुसार मु०अ०सं० 536/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट व मु०अ०सं० 537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा ज रहा है।

बरामदगी का विवरण

अभि० 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक मुखिया नि० गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि० गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी के कब्जे से 12 बोर तमंचा व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 536/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट

मु०अ०सं० 537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट

अभियुक्त का विवरण

- 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक मुखिया नि० गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी
2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि० गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास

1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक मुखिया नि० गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी

1.मु०अ०सं०-362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427भा०द०वि० थाना भीरा

2.मु०अ०सं० 536/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भीरा खीरी

2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि० गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी 2.4.

1.मु०अ०सं०-362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427भा०द०वि० थाना भीरा

2.मु०अ०सं० 537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भीरा खीरी

**थाना सिंगाही पुलिस द्वारा शातिर हिस्ट्रीशीटर सुखविंदर को अवैध शस्त्र
कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार**



प्रेस नोट थाना सिंगाही जनपद खीरी

थाना सिंगाही की पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक लफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु0अ0स0 434/2020 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में चलाये जा रहे सघन अभियान वांछित / वारन्टी अपराधी व सदिग्ध व्यक्ति वस्तु से संबंधित गिरफ्तारी के अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय निघारन के निर्देशन में थानाध्यक्ष सिंगाही श्री प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आज दिनांक 11.12.2020 को एक लफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया विस्तृत विवरण निम्नवत है।

घटना का विवरण

आज दिनांक 11.12.2020 को थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह, 30नि0 श्री अंसार हुसैन रिजवी, का0 सौरभ कुमार, का0 अरुण यादव के विनावर देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम एवं तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी में मामू था जब हम पुलिस वाले ब्राम सिंगाहासुर्द से ब्राम सिंधौना की तरफ अयोध्यापुरवा पुल के पास पहुंचे तो ब्राम सिंधौना की तरफ से पुल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जो हम पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा जिसको हम पुलिस वालों ने घेर घार कर समय करीब 08.00 बजे सुबह पकड लिया। जिसने अपना नाम सुखविन्दर उर्फ पप्पू पुत्र शर्मा निवासी ब्राम दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी बताया जिसके कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर के गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त सुखविन्दर उर्फ पप्पू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सुखविन्दर उर्फ पप्पू पुत्र शर्मा निवासी ब्राम दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी

बरामदगी

अभि0 सुखविन्दर उर्फ पप्पू पुत्र शर्मा निवासी ब्राम दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होना

बरामदगी स्थल

बरामदगी स्थल- अयोध्यापुरवा पुल के पास बहद ब्राम अयोध्यापुरवा

अभि0 सुखविन्दर उर्फ पप्पू का अपराधिक इतिहास

1. 38A/1999 धारा 324/323/504 भादवि थाना सिंगाही
2. 541/2010 धारा 198ZLR ACT थाना सिंगाही
3. 131/2019 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना सिंगाही
4. 183/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिंगाही
5. 358/2019 धारा 323/504/506/भादवि, 3(1)द(घ) एससी/एसटी एक्ट थाना सिंगाही
6. 190/2020 धारा 323/353 भादवि थाना सिंगाही
7. 191/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिंगाही
8. 193/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सिंगाही

पुलिस टीम - (1.)SO श्री प्रदीप कुमार सिंह, (2.)30नि0 श्री अंसार हुसैन रिजवी, (3.)का0 सौरभ कुमार, (4.) का0 अरुण कुमार थाना सिंगाही खीरी

14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही, 03 शातिर अभियुक्तों की लगभग 36 लाख रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई।



प्रेस नोट

थाना मोहम्मदी क्षेत्र के गिरोहबंद अपराधियों के विरुद्ध की गयी कडी

कार्यवाही, लाखों की सम्पत्ति कुर्क

संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हेतु प्राप्तशुदा दिशा निर्देश के अनुपालन में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.12.2020 को थाना मोहम्मदी के प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, व प्रभारी निरीक्षक पसगवां, श्री आदर्श कुमार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 175/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना मोहम्मदी, से सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा भा0द0वि के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराधों को अभ्यस्त रूप से कारित करते हुए आर्थिक व भौतिक लाभ से अर्जित की गयी चल /अचल सम्पत्ति की तस्दीक करते हुए नियमानुसार श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी से अनुमोदन उपरान्त 14(1) गैगस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत सम्पत्ति कुर्क की गयी है। अभियुक्तगण का नाम पता व कुर्क की गयी अवैध अर्जित सम्पत्ति का विवरण निम्नवत् है-

- 1- साजिद उर्फ बाबू पुत्र नूर मोहम्मद नि0 ग्राम मोहम्मदपुर, थाना मोहम्मदी, खीरी।
 - A. मो0सा0 नं0 UP31AU2186 कीमती 55 हजार रुपये
 - B. खाता सं0 777, गाटा संख्या 1353, रकबा 0.253हे0 (करीब 03 बीघा) अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये।
- 2- सत्तार पुत्र बुद्धू बंजारा नि0 ग्राम गरदहा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी।
 - A. 15*10 वर्ग फिट कच्चा मकान कीमत 2 लाख रुपये
- 3- मंगलू बंजारा पुत्र हेतम नि0 ग्राम गरदहा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी।
 - A. 20*18 वर्ग फिट टीन सेड कीमत 3,00,000 (तीन लाख रुपये)
 - B. खात सं0 240, गाटा सं0 313 रकबा0.138 करीब 2 बीघा कीमती 08 लाख रुपये।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों पर की गई 2/3 यूपी गैंगस्टर

एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों 1. मो0 अहमद उर्फ कल्लू 2. रजी अहमद 3. वली अहमद पुत्रगण रफीउल्ला 4. मुन्ना 5. रफीउल्ला 6. मसरूर 7. नसीउल्ला पुत्रगण हफीउल्ला नि0गण बेला तुरसिया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के विरुद्ध 2/3 यूपी गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। उक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के लिए राजनैतिक एवं भौतिक लाभ के लिए गैंग बनाकर हत्या किए जाने के कारण उपरोक्त कार्यवाही की गई है।

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित वयामू पुत्र राकेश

को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त वयामू पुत्र राकेश नि0 बड़ागांव बसहा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 629/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1280/20 धारा 279/304ए भादवि व 184 एमवी एक्ट में वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र छोटेलाल नि0 सीता विहार थाना काकोरी जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1282/20 धारा 143/147/149/336/435/427/504/506/353/341/220 भादवि व धारा 20 यूपी महामारी अधि0 में वांछित अभियुक्त वाद प्रताप पुत्र उमेश प्रताप नि0 शान्तिनगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1286/20 धारा 323/504/506/285/326 भादवि में वांछित अभियुक्त शिल्पी पत्नी अजय उर्फ सोनू नि0 छाउछ थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 166 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना तिकुनिया	55 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	33 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैलानी	28 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना धौरहरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना हैदराबाद	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	166 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार